



कार्यालय वनमण्डलाधिकारी

कोरबा, वनमण्डल— कोरबा, जिला—कोरबा (छ.ग.)

Kosabadi, Rajgamar Road, Korba, Email:- dfo_korba@yahoo.co.in 7587012300

क्रमांक/तक.अ/ 3492

क्रमांक/तक.अ/

प्रति,

कोरबा, दिनांक 19/06/2025

कोरबा, दिनांक

परियोजना निदेशक,

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना

क्रियान्वयन ईकाई,

दशहरा मैदान, निहारिका कोरबा

विषय :-

Consultance Services for Project Management phase-I including Preparation of Details Project Report for upgradation of Champa-Korba-Chhuri-Katghora Section of NH-149 B in the State of Chhattisgarh 2/4 lane with paved shoulder configuration (PKG No. NH/IAHE/09) Area 4.493 Ha. regarding.

पंजीयन क्रमांक — FP/CG/ROAD/37444/2018

संदर्भ :-

1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक/ FC-I/IROCH-09/2021/440 दिनांक 04.01.2022
2. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक/ F.No FC-I/IROCH-09/2021/18 दिनांक 30.04.2025
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर का पत्र क्र./ भू-प्रबंध/विविध/115-764/1407 दिनांक 30.5.2025

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र क्र. 2 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग चांपा—उरगा—छुरी—कटघोरा फोरलेन एन.ए. 149 बी के निर्माण हेतु रकबा 4.493 हे. का प्रत्यावर्तन के अंतिम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के द्वारा अंतिम चरण के अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय पृथक-पृथक वचन पत्र सहित प्रेषित करने हेतु लेख किया गया है।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के द्वारा प्रथम चरण के अधिरोपित शर्त क्र.-ii के अनुसार सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (CA) की राशि 2024-25 की राशि आपके द्वारा जमा की गई है। आपके द्वारा वर्ष 2025-26 की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की अंतर राशि जमा की जानी है जिसका विवरण निम्नानुसार है -

1. वर्ष 2025-26 की दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि -

$$= 4.493 \times 2 = 8.986 \text{ हे. या } 10.00 \text{ हे.} \times 1286648/- = 12866480/-$$

$$\text{आपके द्वारा पूर्व में जमा की गई क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि - (-) = 11696800/-}$$

$$\text{कुल अंतर की राशि = 1169680/-}$$

अतः आप CA की राशि अंतर की राशि 1169680/- रुपये (ग्यारह लाख उन्हत्तर हजार छः सौ अस्सी रुपये मात्र) के बिना वेब पोर्टल पर ई चालान के द्वारा RTGS के माध्यम से जमा करने पश्चात अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक रायपुर से अनुमोदन करावें, साथ ही अंतिम चरण की अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय पृथक-पृथक वचन पत्र सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

वनमण्डलाधिकारी

कोरबा वनमण्डल कोरबा

कोरबा, दिनांक 19/06/2025

पृ. क्रमांक/तक.अ/ 3493

प्रतिलिपि - 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर की ओर सूचनार्थ।

2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ संप्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

कोरबा वनमण्डल कोरबा